



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:40747

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 4011/2026

संजु

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- रवीन्द्र शुक्ला

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदिका द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 55/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) एवं 352, थाना कूरेभार, जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत, आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदिका, जोकि एक महिला है, को वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा कथनों में आवेदिका के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदिका की जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया। तथापि, उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा जमानत आवेदन एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि आवेदिका एक महिला है तथा सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। अतः यह जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त प्रकरण है।

6. जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

7. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदिका -**संजू**-को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदिका ऐसा कोई अपराध नहीं करेगी, जो उस अपराध के समान हो, जिसके किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदिका मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगी, जिससे वह उक्त तथ्यों को न्यायालय अथवा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदिका इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगी कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगी। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदिका प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदिका जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि को आवेदिका न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदिका विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामला प्रारंभ किए जाने, (2) आरोप विरचित किए जाने एवं (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदिका की अनुपस्थिति साशय या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

जून 10, 2026

अर्पण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।